प्रारूप

अधिसूचना

राँची, दिनांक....., 2012

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा 115 (1) एवं (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, जैसे

1. नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

यह नियमावली 'झारखण्ड सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली (2012)' कहा जायेगा। यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य के लिए प्रयोजनीय होगा। यह झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएँ

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997

(ख) 'संचालन क्षेत्र', जल–उपयोगकर्त्ता संघ अथवा जल–उपयोगकर्त्ता महासंघ के सन्दर्भ में, से अभिप्रेत है सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्राधिकार द्वारा रेखांकित किसी सिंचाई प्रणाली के कमांड क्षेत्र में अवस्थित लगातार सेट भूखंड/भूभाग

(ग) 'कमांड क्षेत्र' से अभिप्रेत है वे सभी भूमि जो किसी सिंचाई प्रणाली अथवा योजना के सिंचाई योग्य कमांड के अधीन खेती के योग्य हैं

(घ) 'सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्राधिकार' से अभिप्रेत है राज्य में सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त प्रधिकार

(ड.) 'जल–उपयोगकर्त्ता संघ (ज0उ0सं0 से अभिप्रेत है किसी नहर अथवा उसके अंष अथवा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई प्रणाली अथवा किसानों के बीच वितरण, संचालन एवं सिंचाई प्रणाली के संधारण के लिए किसी अन्य सिंचाई प्रणाली के प्राथमिक स्तर पर किसानों का संघ

(च) 'जल–उपयोगकर्त्ता महासंघ' से अभिप्रेत है सोसाइटीज रजिस्ट्रेषन ऐक्ट XXI, 1860 के अधीन जल–उपयोगकर्त्ता संघ का वह संगठन, जिसके पास वितरणात्मक अथवा minor स्तर पर सिंचाई प्रणाली के (overall) समग्र पर्यवेक्षण, संचालन तथा संधारण के लिए एक साथ–साथ सटा कमांड क्षेत्र है।

(छ) 'परियोजना समिति' से अभिप्रेत है परियेाजना के स्तर पर जल–उपयोगकर्त्ता महासंघ की संघीकृत संरचना जो मध्यम एवं मुख्य सिंचाई परियोजनाओं पर भी प्रयोजनीय हो सकती है।

(ज) 'वितरण–प्रणाली'

(i) से अभिप्रेत है वह प्रणाली जो मुख्य नहर अथवा शाखा नहर अथवा किसी बृहत्तर वितरणी से सीधे निकलकर लघु वितरणी एवं जल प्रवाहों को पानी वितरित करती है।

(ii) 'लघु नहर' से अभिप्रेत है वह वितरण प्रणाली जो किसी वितरणी अथवा उप–वितरणी से निकलकर उनके लघु जल प्रवाहों को जल वितरित करती है।

(iii) 'जलवाहा' से अभिप्रेत है किसी वितरणी अथवा लघु वितरणी से निकलने वाला वह प्रवाह जो क्षेत्रीय चैनलों को पानी पहुँचाता है। विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं में इसकी क्षमता अलग–अलग हो सकती है।

(iv) 'जल निकास' से अभिप्रेत है किसी सिंचाई परिवहन प्रणाली में निर्मित वह छिद्र जिसके माध्यम से किसी क्षेत्रीय प्रवाहिका को अथवा प्रत्यक्षत खेतों को पानी पहुँचाया जाता है।

(झ) 'क्षेत्र प्रणाल' से अभिप्रेत है किसी निकास से किसानों के खेत तक एवं उसके अन्दर तक जाने के लिए निर्मित प्रणाल।

(ञ) 'झारवाटर' से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत सृजित झारखण्ड जल संसाधन विकास समिति।

(ट) 'वित्तीयन अधिकरण' से अभिप्रेत है व्यावसायिक बैंक अथवा सहकारिता सोसाइटी अथवा कोई भी अन्य बैंक अथवा किसी भी विधि द्वारा स्थापित संगठन/दाता जो किसानों के संगठन के संचालन–क्षेत्र के विकास हेतु धन उधार/अनुदान में देता है।

(ठ) 'वित्तीय वर्ष' से अभिप्रेत है संगत वर्ष की 1ली अप्रैल से आरंभ तथा आगामी वर्ष की 31वीं मार्च तक चलने वाला वर्ष।

(ड) 'सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य की सरकार

(ढ) 'सिंचाई प्रणाली' से अभिप्रेत है जलाषयों, तालाबों, बराजों, नपदी–बाँध, नहरों, चैनलों, पोखरों, स्प्रिंग पोखरों, स्प्रिंग चैनलों, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं, जलद्वारा आदि से फसल–कटाई एवं सिंचाई तथा समबद्ध उपयोगों के निमित वृहत् मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रणालियाँ।

(ण) 'भूस्वामी' से अभिप्रेत है झारखण्ड भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत खतियान में स्वामी अथवा किराएदार के रूप में अभिलिखित व्यक्ति

(त) 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार के सरकारी राजपत्र में प्रकाषित अधिसूचना।

(थ) 'संचालन योजना' से अभिप्रेत है सिंचाई प्रणाली के कमांड क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई के लिए बनाई गयी पद्धति एवं अवधि के विवरणों से युक्त सिंचाई उपलब्ध कराने की समय–सारणी

(द) इस नियम में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ 'बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997' से ली गयी हैं। इस नियम में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जो इस नियम में प्रयुक्त हुई हैं परन्तु जो परिभाषित नहीं की गयी हैं उनका अर्थ वही होगा जो बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 में नियत किया हुआ है।

3. सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के लक्ष्य

(i) उन्हें सौंप दी गयी सिंचाई अवसंरचनाओं, यथा नहर माइनरों वितरणियों, लघु उद्‌वहन सिंचाईयों, जलाषयों के संचालन एवं भावी सन्धारण के लिए जल–उपयोगकर्त्ता संघों एवं इसके सम्बद्ध संगठन–स्तरों को प्रोत्साहन देना।

(ii) वितरण प्रणालियों एवं क्षेत्र प्रणाल इत्यादि समेत सिंचाई प्रणाली के संचालन, संधारण, सुधार एवं आधुनिकीरण हेतु योजना तैयार करना तथा वित्तीय सहायता (यदि आवष्यक हो) एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए उसे संगत अभिकरणों को सौंपना।

(iii) पूरे कमांड क्षेत्र के लिए फसल योजना तैयार करना एवं जल की ऋतुवार आवष्यकता निर्धारित करना तथा उसको कार्यान्वित करना।

(iv) नहरों, लिफ्ट सिंचाई/जलाषयों से जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार की स्वीकृति से उपलब्ध कराये गये जल को प्राप्त करना एवं प्राप्त जल को किसानों के बीच समान रूप से बाँटना।

(v) यदि आवष्यकता हो तो नए क्षेत्र चैनलों का निर्माण, farm का विकास development, माइक्रों–लिफ्ट सिंचाई की अधिष्ठापन, कैचमेंट ट्रीटमेंट योजना का क्रियान्वयन, ड्रिप एवं अन्य नवोन्मिषी सिंचाई प्रणाली का अधिष्ठापन एवं इनका भविष्य में संधारण करना।

(vi) जल यातायात conveyance प्रणाली, जल आदान intake स्त्रोत, जल उद्‌वहन/diverting प्रणालियों एवं अन्य समान स्थलों/अवसंरचनाओं में मरम्मती का कार्य करना तथा कमांड क्षेत्र में कमांड क्षेत्र development करना।

(vii) कमांड क्षेत्र के ऋतुवार उपयोग, किसानों से प्राप्य जल टैरिफ, जलटैरिफ के संग्रहण एवं सम्बन्धित प्राधिकार के पास उसके deposit से संबंधित आँकड़ों का सरकार के previling नियमानुसार सर्वेक्षण करना, अभिलिखित एवं Collate करना।

(viii) किसानों, जल–उपयोगकर्त्ता संघो एवं सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण, जल उपयोगकर्त्ता संघो को प्रोत्साहन, जल उपयोग में कुषलता, फसल उत्पादन एवं उत्पादनषीलता, खेती पर अथवा उसके बाह विकासात्मक गतिविधियाँ एवं अन्य समान कार्यों का facilitate करना।

(ix) जल उपयोगकर्त्ता संघ के कार्य को सुदृढ़ करना, विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित खाते, database, प्रबन्धन सूचना प्रणाली (प्र0स0प्र0) इत्यादि का सन्धारण करना एवं सभी संबंधित के प्रति अनुपालन सुनिष्चित करना।

(x) ऐसा अन्य कोई लक्ष्य जो राज्य में सहभागी सिंचाई प्रबन्धन सुनिष्चित करने हेतु कालान्तर में महत्त्वपूर्ण होकर उभरता है।

4. सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएँ

प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक राज्यस्तीय कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नवार किया जायेगा।

क्रमांक	नाम	पदनाम
1	प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार	अध्यक्ष
2	विषेष सचिव सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारवॉटर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार	उपाध्यक्ष
3	अभियंता प्रमुख (I एवं II), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य
4	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, एस०एल०एन०ए०, झारखण्ड सरकार	सदस्य
5	वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
6	वन विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
7	मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड	सदस्य
8	राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
9	निदेषक, झारखण्ड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, झारखण्ड सरकार	सदस्य
10	प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, एच0ए0आर0पी0, पलाण्डु	सदस्य
11	मुख्य अभियंता, अनुश्रवण, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य
12	निदेषक, केन्द्रीय जल आयोग, राँची	सदस्य
13	निदेषक, कृषि/बागवानी, झारखण्ड सरकार	सदस्य
14	राजस्व प्रमंडल, सिंचाई विभाग के प्रभारी	सदस्य
15 एवं 16	गैर–सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
17	राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, झारवॉटर	संयोजक सदस्य

अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति की बैठकों में किसी विषेष निमन्त्रित को आमंत्रित कर सकते है।

यह समिति राज्य में सहभागी जल प्रबन्धन के कार्यान्वयन तथा कमांड क्षेत्र के विकास के कार्यों के लिए समग्र मार्गदर्षन एवं रणनीतिक सहायता प्रदान करेगी। समिति वार्षिक योजना एवं बजट को अन्तिमरूप देगी, चयनित/पहचान की गयी परियोजना की सुविधाप्रदाता एजेन्सियों (गैर–सरकारी संगठन, वाल्मी आदि) का अनुमोदन करेगी तथा कार्यान्वयन एवं अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेगी जिससे कि अमिकल्पित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

ऊपर वर्णित कार्यकारिणी समिति झारवॉटर की कार्यकारिणी समिति के समवर्त्ती होगी (अनुसूची–1)। विषेष सचिव, जल संसाधन विभाग सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारवॉटर का कार्यालय राज्य में सहभागी सिंचाई प्रबन्धन कोषांग के रूप में कार्य करेगा। झारवॉटरा के सृजन के पूर्व एक तात्कालिक सहभागी सिंचाइ प्रबन्धन कोषांग गठित किया जायेगा एवं यह कोषांग सहभागी सिंचाइ

प्रबन्धन से सम्बन्धित योजना के निर्माण, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में सुविधा प्रदान करेगी जिसमें सहभागी सिंचाई प्रबन्धन को सुविधा प्रदान करने वाली एजेन्सी का पैनलबद्ध करने का कार्य भी सम्मिलित होगा। प्रमंडली मुख्यालयों (राँची, हजारीबाग, दुमका, चाईबासा एवं पलामू) में अवस्थित झारवॉटर के पाँचों प्रमण्डलीय कार्यालय अपने–अपने प्रमण्डलों की सहभागी सिंचाई प्रबन्धन इकाइयों के रूप में काम करेंगे। जल उपयोगकर्त्ता संघ एवं इसके सम्बद्ध ties कार्यकारिणी समिति द्वारा गैर–सरकारी संगठनों एवं अन्य एजेन्सियों के तकनीकी एवं प्रबन्धकीय सहयोग से सहभागी सिंचाई प्रबन्धन एवं कमांड क्षेत्र विकास का कार्यान्वयनप प्रत्यक्ष रूप से करेंगे।

5. जल उपयोगकर्त्ता संघ (ज0उ0सं0), जल उपयोगकर्त्ता महासंघ एवं परियोजना समिति

ये निम्नांकित तीन स्तरों पर होगी :–

(i) **ग्राम अथवा टोला स्तर :** 10 हेक्टर अथवा इससे अधिक के कमांड क्षेत्र वाले नहर, लघु उद्‌वहन सिंचाई, जलाषयों आदि के कमांड क्षेत्र के अन्दर पड़ने वाले सभी गाँवों/टोलों अथवा निकास में जल उपयोगकर्त्ता संघ बनाये जायेंगे। ऐसे जल उपयोगकर्त्ता संघ किसानों का एक अनौपचारिक सम्मिश्रण होगा एवं इसकी पंजीकरण नहीं किया जायेगा। हँलाकि, **यदि आवष्यकता हो तो विषेष परिस्थिति में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्षिका के अनुपालन में इस स्तर पर गठित जल उपयोगकर्ता संघ का निबंधन किया जा सकता है।**

(ii) **लघु वितरणी स्तर :** गाँव अथवा टोले अथवा निकास के स्तर के जल उपयोगकर्त्ता संघों को एकीकृत कर एक माइनर अथवा वितरणी स्तर को महासंघ–जल उपयोगकर्त्ता बनाया जायेगा। इसका सोसायटीज रजिष्ट्रेषन ऐक्ट 1860 के तहत पंजीकरण किया जायेगा।

(iii) **परियोजना स्तर :** एक परियोजना के अधीनस्थ लघु अथवा वितरणी स्तर की समितियों के पदधारकों (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष) को मिलाकर परियोजना के सम्पूर्ण कमांड क्षेत्र के लिए 'परियोजना समिति' का गठन होगा। यह समिति पंजीकृत नहीं की जायेगी। जिन परियोजनाओं का कमांड क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है एवं जहाँ एक अथवा दो ही माइनर/वितरणी समितियाँ बनी हैं वहाँ यह समिति नहीं बनाई जायेगी।

5.1 जल उपयोगकर्त्ता संघ, जल उपयोगकर्त्ता महासंघ एवं परियोजना समिति से संबंधित विवरण

(i) **नाम एवं पते :–** इसके लिए कमांड क्षेत्र के किसान सुझाव देंगे एवं निण्रय लेंगे।

(ii) **संचालन क्षेत्र एवं सदस्यता :–** जिस कमांड क्षेत्र के लिए जल उपयोगकर्त्ता संघ/ जल उपयोगकर्त्ता महासंघ बनाया गया है वही इसका संचालन क्षेत्र होगा तथा इस कमांड क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि अथवा लीज की भूमि रखने वाले किसान अथवा बटाईदार किसान इसके सदस्य होंगे।

(iii) **स्थिति :–** जल उपयोगकर्त्ता संघ **सामान्यतः** अपंजीकृत होगा **(कंडिका–5 के प्रावधान के अनुसार विषेष स्थिति में पंजीकृत किया जा सकता है)** एवं जल उपयोगकर्त्ता संघ महासंघ कृषक संस्था के रूप में पंजीकृत होगा।

(iv) **जल उपयोगकर्त्ता संघ एवं फेडरेषन में संधारणीय प्रलेख :**

क. सिंचाई अवसंरचना (नहर अथवा माइनर उद्वहन अथवा प्रवाह सिंचाई प्रणाली आदि) के line diagram के साथ कृष्य एवं अकृष्य भूमि तथा सिंचाइ योग्य कमांड क्षेत्र को दर्षाने वाला कमांड क्षेत्र मानचित्र।

ख. सदस्यों की भूमि के विवरणों (योग कृष्य भूमि, खरीफ एवं रबी में सिंचाई के योग्य क्षेत्र) के साथ सदस्यता–सूची।

ग. निकासों से होने वाले जलप्रस्ताव के विवरण, विषेषतः नहर प्रणाली के लिए

घ. जल उपयोगकर्त्ता संघ/ फेडरेषन के नियम एवं संकल्प

ड. कार्यान्वित योजनओं (कमांड क्षेत्र विकास योजना, लघु उद्वहन सिंचाई, आर0आर0आर0, जल संरक्षण, जलागमक्षेत्र उपचार योजना, जलछाजन इत्यादि) के क्रियान्वयन एवं मरम्मति से संबंधित विवरण (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्राक्कलन, स्वीकृत्यादेष पत्र इत्यादि) तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवदेन, समर्पित किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि।

च. योगदान पंजी।

छ. बैठक पंजी।

ज. रोकड़ पंजी, लेजर पंजी, पासबुक, चेकबुक एवं चेक पंजी।

झ. जल वितरण पंजी (ऋतुवार सिंचाई के विवरण समेत प्रत्येक किसान के लिए अलग–अलग लेजर पृष्ठों से युक्त)

ञ. जल प्रषुल्क संग्रहण पंजी (ऋतुवार संग्रहण के विवरण समेत प्रत्येक किसान के लिए अलग–अलग लेजर पृष्ठों से युक्त)

ट. षिकायत एवं आगुन्तुक पंजी

ठ. मुद्रित अभिश्रव (रसीद, भुगतान अन्य)

ड. जल उपयोगकर्त्ता संघ/ महासंघ द्वारा आवष्यक समझाी जानेवाी कोई अन्य पंजी, जल उपयोगकर्त्ता संघ अपनी बैठक में अपनी आवष्यकतानुसार प्रारंभ में कुछ प्रलेखों का संधारण छोड़ने का निर्णय ले सकता है। परियोजना समिति आधारभूत वित्तीय एवं प्रषासनिक अभिलेखों के सहित सभी महासंघों के समेकित प्रतिवेदनों का संधारण करेगी। जल उपयोगकत्त्र संघों, महासंघों परियोजना समिति के सदस्यों, सरकारी पदाधिकारियों अथवा जन–प्रतिनिधियों का इन अभिलेखों का प्रेक्षण/निरीक्षण करने के लिए जल उपयोगकर्त्ता संघ अथवा महासंघ अथवा परियोजना समिति को पूर्व सूचना देना एवं उनका अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।

6. सहभागी सिंचाई प्रबन्धन का कार्यान्वयन

सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित चरण प्रस्तावित है :–

(i) सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियम (2012), झारखण्ड का अनुमोदन

(ii) सहभागी सिंचाई प्रबन्धन कोषांग के सृजन के लिए विभागीय परिपत्र/आदेष का निर्गमन

क. झारवॉटर के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के कार्यालय अथवा विषेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक तात्कालिक कोषांग की अधिसूचना निर्गेत की जा सकती है।

ख. सहभागी सिंचाई प्रबन्धन कोषांग में निम्नांकित पदाधिकारी/कर्मचारी एवं उपस्कर होगे :

i. सहभागी सिंचाई प्रबन्धन में अनुभव रखने वाला एक पदाधिकारी–प्रति नियुक्ति पर।

ii. एक प्रोग्रामर सह प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आई0एम0) पदाधिकारी एवं एक सहायक प्रोग्रामर–संविदा पर।

iii. कोषांग को आवष्यक फर्नीचर एवं स्थायी उपस्कर, कम्प्यूटरों, प्रिण्टरों, स्कैनरों आदि से लेस करने की अपेक्षा होगी।

iv. प्रत्येक प्रमंडलीय सहभागी सिंचाई प्रबन्धन इकाई (राँची, हजारीबाग, दुमका, चाईबासा एवं पलामू में) में एक पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तथा एक प्रोग्रामर संविदा के आधार पर दिया जायेगा तथा साथ ही आवष्यक फर्नीचर एवं स्थायी उपस्कर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। कमांड क्षेत्र की आवष्यकताओं एवं तत्पष्ता के अनुसार प्रमंडलीय सहभागी प्रबन्धन इकाईयाँ सृजित की जा सकती हैं for handling over for PIM ?

(iii) सहभागी सिंचाई प्रबन्धन को सौंपे जाने हेतु राज्य में सृजित नहर अथवा लघु उद्वहन अथवा पोखरों अथवा कुँओं अथवा अन्य किसी सिंचाई प्रणाली, जो तैयार हो चुकी है अथवा जिससे सिंचाई आरंभ की जा सकती है, के सिंचाई–योग्य कमाण्ड क्षेत्र का मिलान। लघु उद्वहन सिंचाई, RRR इत्यादि के मामले में सहभागी सिंचाई प्रबंधन की प्रक्रियाएँ योजना निर्माण के चरण में ही आरंभ की जायेंगी।

(iv) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के लिए भावी भौतिक एवं वित्तीय योजना को तैयार करना। जब कभी आवष्यकता होगी तो चरण 3 एवं 4 का कार्य फिर से हाथ में लिया जा सकता है।

(v) सक्षम गैर–सरकारी संगठनों, वाल्मी एवं अन्य स्त्रोत संस्थानों में से उन एजेन्सियों का सुविधा प्रदाता एजेन्सियों के रूप में जो निम्नलिखित न्युनतम पैनलनिर्माण, कसौटियाँ पूरी करते हो।

क. वे पंजीकृत है।

ख. झारखण्ड अथवा किसी अन्य राज्य में सामुदायिक संगठन, जल प्रबंधन, सिंचाई अथवा कृषि को बढावा देने अथवा सदृष कार्य में कम से कम तीन वर्षों का अस्तित्व एवं कार्यानुभव ।

ग. कृषि अथवा जल प्रबंधन अथवा सिंचाई एवं सामाजिक कार्य की पृष्ठभूमि वाले उचित पूर्णकालिक कर्मचारीवृन्द।

घ. पर्याप्त संख्या में गाँवों में कार्यक्रमों की पहुँच एवं गत तीन वर्षों में रू० 100 लाख अथवा अधिक का वार्षिक बजट।

ड.. सरकार के किसी विभाग अथवा नाबार्ड अथवा कापार्ट अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं।

च. अन्य अतिरिक्त कर्साटियाँ जिनका विभाग निर्णय करें।

(vi) सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्राधिकार द्वारा सहभागी सिंचाई प्रबन्धन को सुविधा प्रदान करने वाली एजेन्सियों को क्षेत्र, कार्य एवं संसाधन आबंटित करना।

(vii) सहभागी सिंचाई प्रबन्धन की सुविधाप्रदाता एजेन्सियाँ सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के लिए मोटे तौर पर निम्नलिखित कदम उठायेंगी :

क. कर्मचारीवृन्दका सहभगी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियम, इसकी प्रक्रिया, अभिकल्पित प्रतिफल एवं परिणाम के विषय में उन्मुखीकरण करना एवं न्यूनतम 2 से 3वर्षों की अवधि के लिए लक्ष्यगत नियत काम हेतु समयसीमाएँ निष्चित करना।

ख. नियमित अन्तराल पर किसानों की बैठकें आयोजित कर, उद्घाटक यात्राएँ करवाके, किसानों द्वारा जल प्रबन्धन इत्यादि तथा तत्पष्चात् जल उपयोगकर्त्ता संघों के बढावे पर श्रव्यदृष्य प्रदर्षनी आयोजित करके जागरूकता पैदा करना एवं किसानों को संवेदनषील बनाना।

ग. फसल योजना निर्माण Planning, फसलों के लिए जल की आवष्यकता, जल वितरण, निकासों के संचालन समय–सारणी जल परिवहन प्रणाली के संधारण एवं सिंचाइ प्रणाली के अन्य अवयवों के बारे में किसानों एवं जल उपयोगकर्त्ता संघों में क्षमता का निम्रण ।

घ. सरकारी निदेषानुसार जल उपयोगकर्त्ता संघ के कार्य (जल उपयोगकर्त्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन नियमित बैठकों का आयोजन, मानक एवं प्रक्रियाएँ) तथा जल प्रषुल्क संग्रहण की प्रणाली एवं कार्यविधि को अन्तिम रूप देना। माइक्रो उद्वहन प्रणाली के मामले में, जल प्रषुल्क के निर्धारण एवं इसके संग्रहण की पद्धति का निण्रय समुदाय लेगा।

ङ. जल उपयोगकर्त्ता संघ के किसानों की फसल योजना के अनुरूप जल विमुक्ति/उद्वहन योजना को तैयार करना एवं तदनुसार किसानों के खेतों में पानी उपलब्ध कराना।

च. खेत के अन्दर/बाहर के विकास कार्यों, RRR, जल संरक्षण, जलागम क्षेत्र, उपचार, के लिए योजना तैयार करना एवं उसे कार्यान्वित करना।

छ. कमांड क्षेत्र विकास, अन्य फार्म विकास के कार्य एवं अन्य कार्यक्रमों के साथ समागम :– कमांड क्षेत्र विकास के कार्य एवं अन्य फार्म विकास के कार्य, यथा भूमिसमतलीकरण एवं बन्द निम्रण, क्षेत्रीयप्रवाहिकाओं का निर्माण, बागवानी इत्यादि के लिए योजना जल उपयोगकर्त्ता संघों एवं किसानों (टोला/गांव के स्तर पर) द्वारा सहभागी सिंचाई प्रबन्धन को विद्या प्रदान करने वाली एजेन्सी के सहयोग से तैयार की जायेगी। जल उपयोगकर्त्ता संघ अथवा ग्राम सभा इस योजना की जाँच एवं अनुषंसा करेगीएवं इसे जल संसाधन विभाग तथा अन्य विभागों से लमागम (मनरेगा, NHM, IAP, NFSM इत्यादि) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भेज दिया जायेगा। अनुमोदित योजना का कार्यान्वयन टोला/गाँव के स्तर के जल उपयोगकर्त्ता संघों को विपणन समेत सभी तकनीकी एवं प्रबन्धकीय सहायता उपलब्ध करायेगी।

ज. समागम तथा कुषल कार्यसम्पादन एवं आर्थिक वृद्धि हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए जल उपयोगकर्त्ता संघ एवं महासंघ के पदधारक विभिन्न विभागों, संसाधन एजेन्सियों, पंचायत एवं अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क करेंगे।

झ. कार्यान्वित योजनाओं की आंषिक लागत को पूरा करने के लिए सदस्यों से चंदे (नकद अथवा वस्तु अथवा व्यक्ति दिवस के रूप में) का संग्रहण करना।

ञ. जल प्रषुल्क का संग्रहण करना, व्यक्तियों/एजेन्सियों/सरकार को भुगतान करना, अपेक्षित अभिलेखों का सन्धारण करना एवं सभी सम्बन्धित पक्षों को भौतिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना।

ट. जल उपयोगकर्त्ता संघ के महासंघ के लिए प्रतिनिधि चुनने हेतु बैठकें आयोजित करना। नहर सिंचाई प्रणाली में इसकी आवष्यकता प्रारंभिक चरणों में होगी। किन्तु उद्वहन अथवा उन्य लघु सिंचाई प्रणालियों के मामले में बैठकों का आयोजन परवर्त्ती चरण में किया जायेगा।

ठ. जल उपयोगकर्त्ता महासंघ की सोसायटी रजिष्ट्रिेषन ऐक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत करवाना ।

ड. महासंघ एवं सहकारी सिंचाई प्रबन्धन प्राधिकार (सहकारी सिंचाइ प्रबन्धन कोषांग द्वारा नामित पदाधिकारी) के बीच एक औपचारिक समझौता करके जल

उपयोगकर्त्ता महासंघ को सिंचाई संरचना के संचालन तथा संधारण का उत्तरदायित्व सौंपना।

ढ. किसान अथवा जल उपयोगकर्त्ता संघ अथवा महासंघ के स्तर पर जब कभी आवष्यकता हो तो विवादों का समाधान एवं समस्या–निराकरण।

(viii) जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ को संचालन एवं संधारण का कार्य सौंपे जाने के उपरान्त सहभागी सिंचाई प्रबन्धन कोषांग

क. प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगा

ख. जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ को कोटिबद्ध करेगा, तत्पष्चात् बेहतर जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ को पुरस्कार प्रदान करेगा एवं कमजोर जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ के लिए सुधारात्मक उपाय करेगा।

ग. संग्रहण किए गए तथा संचालन एवं संधारण के लिए प्रयुक्त चंदे/राजस्व, सरकार में जमा की गयी प्रषुल्क एवं आगे बढाई गई अधिकाई का database संधारित करेगा।

घ. Goss Learning एवं सहभागी सिंचाई प्रबन्धन की प्रणालियों के मानकीकरण हेतु प्रमंडलीयस्तर (राँची, हजारीबाग, दुमका, चाईबासा एव ंपलामू) पर बैठक/सेमिनार आयोजित करना तथा Statutory body के प्रति अनुपालन कों सुगम बनायेगा।

ड. **जल संसाधन मंत्रालय (ज0 सं0 मं0), भारत सरकार तथा जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार (ज0 सं0 वि0, झा0 स0) की प्रभावी मार्गदर्षिका के अनुसार** बड़ी मरम्मतियों अथवा ऐसे अन्य कार्यों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करेगा।

6.1 जल उपयोगकर्त्ता महासंघ का पंजीकरण

सोसायटी के पंजीकरा का कार्य सूचीबद्ध सहभागी सिंचाई प्रबंधन को सुचारू बनाने वाली एजेन्सियों के द्वारा सुगम बनाया जायेगा। पंजीकरण के लिए निम्नांकित प्रलेखों के सहित एक आवेदन की आवष्यकता होगी :

क. आवेदन प्रपत्र (अनुसूची 2)

ख. महासंघ के सामान्य संकाय का संकल्प

ग. महासंघ के नियम

घ. पंजीयन विभाग को अपेक्षित कोई अन्य प्रलेख

6.2 जल उपयोगकर्त्ता महासंघ एवं सहभागी सिंचाइ प्रबन्धन कोषांग के मध्य समझौता।

क. अपने कमांड क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए आवष्यक जल की मात्रा प्राप्त करने हेतु जल उपयोगकर्त्ता महासंघ विहित प्रारूप (अनुसूची–4) में आवेदन प्रस्तुत करेगी।

ख. सहभागी सिंचाई प्रबन्धन महासंघ को प्रचलित दर (सरकार द्वारा अनुमोदित) पर अपने उपयोग के लिए पानी लेने हेतु अनुमति देने का आदेष (अनुसूची–5) निर्गत करेगा।

ग. जल उपयोगकर्त्ता महासंघ एवं सहभागी सिंचाई प्रधिकाकर संचालन एवं संधारण के उत्तरदायित्व के हस्तान्तरण की प्रक्रिया विषयक समझौता (अनुसूची–6) करेंगे।

सहभागी जल प्रबन्धन प्राधिकार सिंचाई अवसंरचना के अवयवों की सूची एवं उनकी स्थिति के सम्बन्ध में प्रलेख तैयार करेगा तथा यह प्रलेख अनुसूची के रूप में समझौते का एक अंष होगा। महासंघ वितरणी, माइनरों, क्षेत्रीय प्रवाहिकाओं, अन्य माइक्रों प्रणालियों की सिंचाई विषयक अवसंरचना के सभी अवयवों के संचालन तथा सन्धारण प्रबन्धन नियम, झारखण्ड (2012) द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। मध्यम सिंचाई परियोजनओं में, जिनमें कमांड क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, महासंघ समस्त सिंचाई प्रणाली का उत्तर दायित्व ले सकेगा एवं इसमें मामलावार आधार पर head works एवं प्रधान नहरें भी सम्मिलित होंगी। उद्‌वहन सिंचाई के मामले में जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ पम्प हाउस, उद्‌वहन उपकरण , परिवहन प्रणाली, कुण्ड/निकास, भंडारण जलाषय इत्यादि सहित सम्पूर्ण सिंचाई प्रणाली का सन्धारण करेगा। यदि नहर सिंचाई प्रणाली अथवा उद्‌वहन सिंचाई प्रणाली के किसी अंष अथवा अवयवो की क्षति पहुँचाने का प्रयास किया जाता है अथवा नहर/वितरणी/माइनर/क्षेत्रीय प्रवाहिका को अतिक्रमित किया जाता है अथवा जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ के किसी काम में बाधा खड़ी की जाती है तो महासंघ क पास सम्बधित व्यक्तियों अथवा व्यक्ति–समूह के विरूद्ध बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा–82–90 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार होंगा।

किसी विधिक मामले के लिए सचिव, जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ उत्तरदायी होगा। सभी प्रलेखों पर जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ की ओर से सचिव हस्ताक्षर करेंगे।

6.3 समीक्षा, विस्तार एवं अधिग्रहण

जल उपयोगकर्त्ता संघों के स्वस्ति एवं स्थिति की समीक्षा जल संसाधन विभाग अथवा खुले बाजार से पारिक्षमिक पर लायी गयी सक्षम एजेन्सियों के द्वारा की जायेगी। तत्पष्चात् अधिक अच्छा काम करने वाले जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ को पुरस्कार प्रदान किया जायेगा एवं कमजोर जल उपयोगकर्त्ता संघ/ महासंघ के सुधार के उपाय किए जायेगे। जल आबंटन की शर्त्तें पुनरीक्षित की जायेगी एवं नई प्रचलित दर के अनुरूप उनका विस्तार किया जायेगा।

यदि कोई ऐसा मामला हो जिसमें महासंघ किसी छलहरण अथवा राषि के गबन में संलिप्त पाया गया है तो सहभागी सिंचाई प्राधिकार सिंचाई प्रणाली के नियन्त्रण को हाथ में ले सकता है। परन्तु इस नियंत्रण को लेने के छः महीने की अवधि के अन्दर सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्रधिकार/सुविधादाता एजेन्सी एक नये महासंघ का सृजन करेगी तथा उत्तरदायित्व को पुनः नवसृजित महासंघ को हस्तान्तरित कर देगी।

7. जल उपयोगकर्त्ता संघ एवं महासंघ की प्रोत्साहन

जल उपयोगकर्त्ता संघ को बढावा देने के निमित सहभागी सिंचाई प्रबन्धन की सुविधाप्रदाता एजेन्सी एवं किसानों में 2–3 वर्षों की अवधि के अन्तरंग सहकार की आवष्यकता होगी। सुविधाप्रदाता एजेन्सी को क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक सन्दर्भ, जल उपयोगकर्त्ता संघ को बढावा देने विषयक प्रक्रियाओं एवं जल उपयोगकर्त्ता संघ के विकास पथ का अच्छा ज्ञान होना आवष्यक है। 2–3 वर्षों का अनुभव प्राप्त करने के उपरान्त जल उपयोगकर्त्ता संघ को किसी सुविधाप्रदायी सहारे की आवष्यकता नहीं होगी तथा वह स्वतंत्र रूप से काम करेगी।

जल उपयोगकर्त्ता संघ में कमांउ क्षेत्र के वे सभी जल उपयोगकर्त्ता होंगे जो या तो भूस्वामी है अथवा लीज भूमिक धारक है अथवा बँटाईदार है अथवा इन सभी का सम्मिश्रण है।

7.1 सदस्यता

18 वर्ष के ऊपर की महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों की महिलाओं एवं सीमान्त किसानों, समेत वे सभी किसान (भूस्वामी, भूमि लीजधारक, बँटाईदार), जो नहर/लघु उद्वहन/अन्य सिंचाई प्रणाली के तहत कमांड क्षेत्र में कृषिकार्य में लगे हुए है, जल उपयोगकर्त्ता संघ का सदस्य बनने के लिए अर्हताप्राप्त है। कोई किसान ऐ से अधिक जल उपयोगकर्त्ता संघों का सदस्य हो सकता है। बषर्त्ें यदि वह एक से अधिक कमांड क्षेत्र में भूमि का स्वत्व रखता हों। किसान को सदस्यता हेतु अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन देना होगा। अपेक्षित शुल्क/प्रषुल्क का भुगतान नहीं करने पर अथवा जल उपयोगकर्त्ता संघ के मानक एवं प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने पर अथवा स्वयं त्यागपत्र देने पर किसान की सदस्यता समाप्त हो सकती है।

7.2 जल उपयोगकर्त्ता संघ की संचालनात्मक अवसंरचना

(i) सभी किसान बैठकें करेंगे एवं सामूहिक रूप से जल उपयोगकर्त्ता संघ के सामान्य निकाय का गठन करेंगे। बैठक में सम्मिलित होने के लिए महिला सदस्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(ii) सामान्य निकाय न्यूनतम सात सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति का चयन करेगा।

(iii) ये सातों सदस्य जिनमें तीन अथवा 401, जो भी अधिक हो, महिलाएँ होंगी। जल उपयोगकर्त्ता के पदधारक होंगे। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या एवं पदनाम निम्नवत् होंगे :

क. अध्यक्ष – एक
ख. उपाध्यक्ष – एक
ग. सचिव – एक
घ. कोशाध्यक्ष – एक
ड. सदस्य – तीन

(iv) कार्यकारिणी समिति की कार्यवधि के सम्बंध में सामान्य निकाय (1से 3 वर्श) अपनी सुविधानुसार निर्णय लेगा। सामान्य निकाय की कार्यावधि को प्रारंभिक वर्शों में अपेक्षाकृत छोटा रखना उचित होगा।

(v) किसी सदस्य की कार्यकारिणी समिति का दो लगातार कार्यविधि तक पदधारक बने रहने को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा एवं इस स्थिति को टाला जायेगा। यदि कार्यकारिणी समिति में पदधारक के रूप में नई योग्य महिलाएँ उपलब्ध नहीं हो तो पुरानी महिलाओं के लिए दूसरी लगातार कार्यविधि की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(vi) यदि मृत्यु अथवा त्यागपत्र अथवा किसी कारण से रिक्त उत्पन्न होती है तो इस प्रकार की रिक्ति को नामांकन के द्वारा भरा जायेगा।

7.3 बैठके

(i) जल उपयोगकर्त्ता संघ के सामान्य निकाय की बैठक वार्षिक रूप से अप्रैल महीने में होगी।

(ii) कार्यकारिणी समिति मासिक आधार पर बैठक करेगी। पहले वर्ष एवं फसल के मौसम के दौरान इस बैठक की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होगी।

(iii) आवष्यकता के आधार पर बैठक आरंभ होने के सात दिन पूर्व सूचना देकर सचिव सामान्य निकाय अथवा कार्यकारिणी समिति की विषेष बैठक बुला सकते है।

(iv) विषिष्ट मामलों के लिए बैठक बुलाने हेतु कोई सदस्य सचिव से जल उपयोगकर्त्ता संघ के एक–तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार के अनुरोध के प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर सचिव सामान्य निकाय की बैठक बुलायेंगे।

(v) सामान्य निकाय की बैठक की तिथि, समय, स्थल एवं कार्यसूची की जानकारी बैठक आरंभ होने की तिथि से 15 दिना पहले पत्र के द्वारा अथवा संचार की पारंपरिक रीति से जैसा की सामान्य निकाय निर्णय ले, दी जायेगी। कार्यकारिणी समिति की बैठक की जानकारी बैठक के आरंभ होने की तिथि से सात दिन पहले दी जायेगी।

(vi) एक–तिहाई सदस्यों की बैठक में उपस्थिति से गणपूर्त्ति पूरी हो जायेगी। गणपूर्त्ति नहीं होने से बैठक आयोजित नहीं की जायेगी। यदि गणपूर्त्ति पूरी नहीं होती है तो वही बैठक उसी बार ऐ समय पर अगले सप्ताह में आयोजित की जायेगी।

(vii) बैठक में निण्रय सर्वसहमति से लिए जायेंगे। तथापि, यदि परस्पर विरोधी स्थितियाँ हो, यथा–किसी निर्णय के पक्ष एवं विपक्ष में समान मत पडना तो अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा।

(viii) बैठक की कार्यवाही बैठक पंजी में अभिलिखित की जायेगी एवं अगली बैठक में इसकी पुष्टि की जायेगी।

7.4 जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ की कार्यपद्धति

(I) जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ का संचालन सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियम, झाररखण्ड (2012) की व्यापक रूपरेखा के अभ्यन्तर तथा स्वयं जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ द्वारा स्थापित अतिरिक्त मानकों के अनुरूप होगा।

(II) जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ के सामान्य निकाय की शक्तियाँ निम्नवत् होगी :

क. सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियम, झारखण्ड (2012) की व्यापक रूपरेखा के अभ्यन्तर सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के कार्यान्वयन हेतु संचालनात्मक मानकों एवं प्रक्रियाओं का निरूपण

ख. सहभागी सिंचाई प्रबन्धन (सिंचाई योजना निर्माण, जल वितरण समयसारणी, फसल योजना, सिचांई प्रणााली का संचालन, जल प्रषुल्क संग्रहण पद्धति, अभिकल्पित मरम्मति एवं संधारण इत्यादि), योजना का कार्यान्वयन, परिवहन/वितरणी अथवा जलाद्वहन प्रणाली समेत सिंचाई की अवरसंरचना का संधारण एवं वित्तीय प्रबन्धन।

ग. भौतिक प्रगति, योजना एवं बजट (वार्षिक, नियमित एवं अनुपूरक), व्ययों तथा लेखा विवरण की स्वीकृति ।

घ. आवष्यकत उपनियम तैयार करना एवं सम्बन्धित ग्राम सभा से उसकी जाँच करवाना जिससे कि जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ का काम अधिक कुषल तथा सोसाइटी के उद्देष्यों को प्राप्त करने के प्रति संकेन्द्रित हो सके।

ड. जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ की एक मुहर होगी एवं यह एक सुरक्षित स्थान पर रखी जायगी। मुहर का प्रयोग जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ के कार्य के लिए होगा एवं इसे सचिव हस्ताक्षरित करेंगे।

च. कार्यकारिणी समिति एवं जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ के पदधारकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन।

छ. ऐसी कोई भी अन्य कार्यकलाप/प्रक्रिया हाथ में लेना जो सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के लक्ष्यों की प्राप्ति से संगति रखती हों।

(III) कार्यकारिणी समिति सामान्य निकाय के निर्देष के अनुसार जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ की येाजना का कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी। इसके अतिरिक्त यह विषेष नियत कार्यों के लिए उपसमितियाँ गठित करेगी एवं पूर्व में गठित समितियों को भंग करेगी जो अब निरर्थक हो गयी है। जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ के पदधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे :

(IV) जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ के अध्यक्ष के उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ :

क. अध्यक्ष जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे।

ख. वह सामान्य निकाय की बैठकों, कार्यकारिणी समिति की बैठकों एवं अन्य बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

ग. वह बैठक में किसी विषय में पक्ष एवं विपक्ष में सदस्यों के मतों के समसंख्यक होने पर निर्णायक मत देंगे ।

घ. वह बैठक की कार्यवाहियाँ हस्ताक्षरित करेंगे।

(V) जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ के उपाध्यक्ष के उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ :

क. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना

ख. उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के काम को हाथ में लेना।

(VI) जल उपयोगकर्त्ता संघ्ज्ञ/ महासंघ के उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ :

क. बैठक बुलाना, कार्यवाही एवं कृतकार्य प्रतिवेदन तैयार करना

ख. जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ के कृत्यों का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रगति प्रतिवेदन को तैयार करना।

ग. गैर–वित्तीय मामलों को अभिलिखित करना एवं लेखा संधारण

घ. सदस्यों एवं सभी सम्बंध प्राधिकारियों से पत्राचार आदि करना।

ड. अनुपालन

(VII) जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ के उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ :

क. जल प्रषुल्क प्राप्त करना एवं सभी सम्बन्धित पक्षों को भुगतान करना

ख. रोकड़ पंजी, लेजर, पुस्तिका, विपत्रों, अभिश्रवों एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का संधारण करना

ग. वार्षिक लेखा परीक्षा हेतु एवं लेखा–विवरणी की तैयारी के लिए अंकेक्षकों की सेवाएँ परिश्रमिक पर लेना (खुले बाजार से अथवा विभाग या सहभागी सिंचाई प्रबन्धन कोषांग द्वारा निर्मित पैनल से)

7.5 जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ द्वारा सहभागी जल प्रबन्धन :

सिंचाई प्रबन्धन के अवयव है नहरों (षाखा सहित), माइक्रो उद्वहन/अन्य सिंचाई प्रणाली का संचालन, जल का वितरण, क्षेत्र प्रवाहिका समेत नहर/माइक्रो उद्वहन/अन्य सिंचाई प्रणाली की मरम्मती, जल प्रषुल्क का प्राक्कलन एवं संग्रहण, कमांड क्षेत्र की फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना एवं साथ ही उत्पाद के विपणन की व्यवस्था करना। इन कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जायेंगे :

क. नहर सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत अपने कमाण्ड क्षेत्र को सिंचित करने के लिए अपेक्षित मात्रा में जल पाने के लिए जल उपयोगकर्त्ता संघ महासंघ विहित प्रपत्र (अनुसूची–II) में आवेदन देगा। लघु उद्वहन/जलाषय/पारम्परिक आहर–पाईन प्रणाली के मामले में इस प्रक्रिया से छूट रहेगी।

ख. सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्राधिकार जल उपयोगकर्त्ता महासंघ को अपने उपयोग के लिए प्रचलित दर (यथा जल संसाधन विभाग अथवा जल नियामक निकाय, झारखण्ड द्वारा निर्णत एवं प्रत्येक 5 वर्ष पष्चात् समीक्षित) पर जल लेने की अनुमति देगा।

ग. सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्राधिकार सीमांकित बिन्दु/निकास से पानी छोडेगा। सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्राधिकार अपने द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार अपेक्षित जलस्त्राव को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेगा।

घ. टोले अथवा गाँव के स्तर का जल उपयोगकर्त्ता संघ कृषि–कार्यों के उद्देष्य से छोटीनदियों/स्त्रोंतों/जलाषयों से जल उठाने को स्वतन्त्र होगा।

ड. जल की उपलब्धता पर विचार करते हुए सहभागी सिंचाई प्रबन्धन की सुविधाप्रदाता एजेन्सी फसल योजना में सहायता प्रदान करेगी।

च. फसलों की जल की आवष्यकता के अनुसार जल उपयोगकर्त्ता संघ कमांड क्षेत्र में इस प्रकार से जल वितरण करेगा कि सभी किसान अपने खेत को सींचने के लिए समय पर जल पा सके।

छ. जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ की कार्यकारिणी समिति क्षेत्रीय प्रवाहिकाओं समेत जल परिवहन एव वितरण की प्रणाली की देखभाल करेगी एवं अपेक्षित मरम्मति तथा संधारण के लिए आवष्यक सुधारात्मक उपाय करेगी। जल उपयोगकर्त्ता संघ अथवा महासंघ द्वारा प्रत्येक फसली मौसम के पष्चात् सभी मरम्मती के कार्य हाथ में लिए जायेंगे। अपेक्षाकृत बड़े अथवा विषिष्ट मरम्मति एवं सन्धारण का काम महासंघ अपने आन्तरिक वित्तीय संसाधनों से करने का चेष्टा करेगा। परन्तु यदि परिस्थिति यह है कि महासंघ के पास इस प्रकार की मरम्मती अथवा सन्धिकरण के लिए पर्याप्त राषि नहीं है तो वह आर्थिक सहायता माँगने के लिए सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्राधिकार को आवेदन दे सकता है। सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्राधिकार लागत के एक अंष (षेष लागत महासंघ द्वारा वहनीय होगा) का भार उठा सकता है जिसके कलए अलग–अलग मामले पर विचार कर सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्राधिकार निर्णय ले सकता है।

ज. निम्नस्थ क्षेत्रों में अधिकाई जल का सुरक्षित बहाव सुनिष्चित करने के लिए यथोचित व्यवस्थाएँ की जायेगी।

झ. जल उपयोगकर्त्ता संघ महासंघ सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्राधिकार को सिंचाई प्रणाली की सुरक्षा का वचन देगा।

ञ. जल उपयोगकर्त्ता महासंघ को किसानों कसानों से जलप्रषुल्क संग्रहीत करने तथा पूरे संगृहित जल प्रषुल्क के 30% अथवा जितना जल नियामक प्राधिकार अथवा

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार विभाग, झारखण्ड सरकार को जमा करने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा। शेष राषि को जल उपयोगकर्त्ता महासंघ अपने संचालन एवं भावी सन्धारण के लिए उपयोग में लायेगा।

ट. जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ एक जलवितरण एवं जल प्रषुल्क संग्रहण पंजी सधारित करेगा जिसके अन्दर भूमि एवं कितनी बार सिंचाई उपलब्ध कराई गई इस संबंध में किसानवार विवरण वर्णित होगे। इनके तथा प्रचलित प्रति हेक्टेयर/एकड जल प्रषुल्क दर के आधार पर किसानवार माँग तैयार की जायेगी तथा तदनुसार किसान सदस्यों से धनराषि का संग्रहण किया जायेगा। यह पंजी किसी भी किसान के देखने के लिए खुली रहेगी।

ठ. यदि जितना जल माँगा गया एवं जितने पर उभय पक्षों की सहमति हुई उससे कम मात्रा में जल की आपूर्त्ति हुई तथा फलस्वरूप फसल की क्षति हुई तो जल उपयोगकर्त्ता महासंघ सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्राधिकार के पास जल प्रषुल्क में छूट के लिए आवेदन देगा। यह आवेदन फसल कटाई के 20 दिन पहले सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्राधिकार के पास पहुँच जाना चाहिए। प्राधिकार परिस्थिति की जाँच करेगा। आवेदन पर निग्रय लेगा एवं निर्णय को जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ को सम्प्रेषित करेगा। यदि यह निर्णय जलउपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ के विरोध में होता है तो वह आगे उच्चतर प्राधिकार के पास अपील कर सकते है।

ड. जल उपयोगकर्त्ता महासंघ पिछले खरीफ एवं रबी मौसम के लिए जल प्रषुल्क समझौते के अनुसार सरकारी कोषांग प्रत्येक वर्ष क्रमषः 31 मार्च एवं 30 जून को जमा करेंगे।

यदि जल उपयोगकर्त्ता संघ/ महासंघ भुगतान में चूक करता है तो जल संसाधन विभाग अगले मौसम में करने वाले किसानों पर भी लागू होगी एवं इस प्रकार की चूक करने वाले किसानों के खेतों में पानी की आपूर्त्ति जल उपयोगकर्त्ता संघ अथवा जल उपयोगकर्त्ता महासंघ आगामी मौसम में बंद कर देंगे।

ढ़. यदि बाढ़ अथवा सूखा अथवा अगलगी जैसी प्राकृतिक विपदा की स्थिति हो तो सरकार उस वर्ष विषेष के लिए जल प्रषुल्क क्षानतकर सकती है।

7.6 परियोजना समिति :

परियोजना समिति परियोजना स्तर पर जल उपयोगकर्त्ता महासंघ की संघीकृत होगी। परियोजना समिति के गठन की प्रक्रिया जल उपयोगकर्त्ता महासंघ के गठन की प्रक्रिया जैसी होगी। प्रत्येक परियोजना समिति के लिए अध्यक्ष मिलाकर 7 से 11 सदस्यों की एक व्यवस्थापिका समिति होगी जिसमें

40% सदस्य महिलाएँ होगी। परियोजना समिति के अध्यक्ष एवं पदधारकों अथवा इसकी वयवस्थापिका समिति की कार्यविधि एवं भूमिका उत्तरदायित्व वैसे ही होंगे जैसा कि क्रमषः जल उपयोगकर्त्ता संघ महासंघ अथवा उसकी कार्यकारिणी समिति के होंगे। अयोग्य ठहराए जाने अथवा मृत्यु अथवा त्यापत्र अथवा अन्य किसी कारण से उत्पन्न रिक्ति को नामांकन से भरा जायेगा।

8. वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

जल उपयोगकर्त्ता संघ की निधि निम्नांकित प्राप्तियों से निर्मित होगी :

क. किसानों से प्राप्त चन्दे, सदस्यता शुल्क के रूप में सदस्यों से संग्रहण किया गया शुल्क अथवा किसानों को दी गई सेवा से प्राप्त शुल्क अथवा कोई अन्य बचत।

ख. राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान अथवा सुलभ ऋण।

ग. वित्तीय एजेन्सी यथा–दाता अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा उगाही गयी राषि।

घ. सत्पत्तियों एवं परिसम्पदाओं से आय।

ड. बैंकों अथवा निगमों से प्राप्त कार्यकारी पूँजी अनुदान अथवा ऋण।

च. किसी अन्य स्त्रोतों से अन्य प्राप्तियाँ अथवा आय।

8.1 वित्तीय कार्यप्रणालियाँ

क. जल उपयोगकर्त्ता संघ महासंघ लेखा एवं वित्तीय कार्यप्रणालियों की मानक पुस्तकों का अनुसरण करेगा एवं तदुनसार मानक पुस्तकों का अनुसरण करेगा एवं तदनुसार मानक लेखा पुस्तकें, यथा–रोकड़ पंजी, लेजर पंजी, चेकबुक, चेकपंजी इत्यादि का सन्धारण करेगा।

ख. राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा सहकारी बैंक अथवा डाकघर में जल उपयोगकर्त्ता संघ अथवा जल उपयोगकर्त्ता महासंघ के नाम से एक बचत बैंक खाता खोला जायेगा।

ग. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में कार्यकारिणी समिति सभी संभव रसीदों एवं व्ययों को दर्षाता हुआ एक बजट तैयार करेगी तथा इसे सामान्य निकाय के समक्ष अनुमोदिनार्थ रखेगी।

घ. जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ निधि का उपयोग अनुमोदित योजन बजट एवं राषि की उपलब्धता के अनुसार करेगा। कोई भी नया व्यय सामान्य निकाय का अनुमोदन प्राप्त करके ही किया जायेगा।

ड. कार्यकारिणी समिति के पदनामित तीन सदस्यों (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष) में से किन्हीं दो सदस्यों के हस्ताक्षर से राषि की निकासी की जायेगी। यही प्रक्रिया किसी पक्ष को चेक से भुगतान करने के मामले में भी लागू होगी।

च. महासंघ के लेखो का अंकेक्षण विभाग/सहभागी सिंचाई प्रबंधन कोषांग द्वारा पैनलबद्ध अंकेक्षकी द्वारा किया जायेगा। रजिल्ट्रार, झारखंड सरकार का कार्यालय इन लेखों का अंकेक्षण अपने अंकेक्षकों के द्वारा करायेगा ।

छः महासंघ सहभागी सिंचाई प्रबंधन कोषांग, जल संसाधन विभाग, रजिल्ट्रार कार्यालय एवं अन्य संबंधित कार्यालयों तथा प्राधिकारी को वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अन्य वित्तीय प्रतिवेदन समर्पित करेगा।

जब कभी ऐसा झारखण्ड के किसानों के हित में आवश्यक समझा जाये तो किसी बिन्दु अथवा किसी अनुभाग अथवा अनुच्छेद का सम्पूर्णतः अथवा अंशतः संशोधन करना परिवर्द्धन करने अथवा विलोपन करने का अधिकार जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।

9. जल उपयोगकर्त्ता संघ/महासंघ का विघटन पंजीकृत जल उपयोगकर्त्ता महासंघ का विघटन

रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 में विहित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा एवं तदनुसार सामान्य निकायकी बैठक में 3/5 बहुमत से विघटन किया जायेगा। विघटन के उपरान्त सम्पत्ति किसी सदस्य अथवा गैर सदस्य को हस्तान्तरित नहीं होगी। इसका हस्तान्तरण किसी उसी क्षेत्र में कार्यरत समान लक्ष्यों वालक अन्य समाज अथवा सरकार को सदस्यों के 3/5 मत से किया जायेगा। जल उपयोगकर्त्ता संघ अथवा महासंघ की कार्यकारिणी समिति के द्वारा गबन, जालसाजी, शक्ति एवं कार्य का दुरूपयोग अथवा कोई भी अन्य कृत्य की दशा में सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्राधिकार को जल उपयोगकर्त्ता संघ अथवा महासंघ को विघटित करने एवं सोसायटी के कार्यों को संचालित करने के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएँ करने की शक्ति है, परन्तु इस प्रकार के विघटन के तीन महीनों की अवधि के अन्दर कार्यकारिणी समिति को फिर से गठित कर दिया जायेगा।

अनुसूची – 1

झारवॉटर की कार्यकारिणी समिमि

1	प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार	अध्यक्ष
2	विशेष सचिव सह मु०का०पदा०, झारवॉटर, जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार	उपाध्यक्ष
3	अभियंता प्रमुख (I एवं II), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य
4	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, एस०एल०एन०ए० झारखण्ड सरकार	सदस्य
5	वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
6	वन विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
7	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
8	निदेशक, झारखण्ड अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, झारखण्ड सरकार	सदस्य
9	प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, एच०ए०आर०पी०, पलाण्डु	सदस्य
10	मुख्य अभियंता, अनुश्रवण, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य
11	निदेशक, सी०डब्लू०सी०, राँची	सदस्य
12	निदेशक, कृषि/बागवानी, झारखण्ड सरकार	सदस्य
13	प्रभारी, राजस्व प्रमंडल, जल संसाधन सिंचाई विभाग	सदस्य
14	गैर–सरकारी संगठन से एक प्रतिनिधि	सदस्य
15	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन, झारखण्ड	संयोजक–सदस्य

अध्यक्ष सोसायटी की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में किसी विशिष्ट निमंत्रित को आमंत्रित कर सकते हैं

अनुसूची –2

जल उपयोगकर्त्ता संघ महासंघ के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

महानिरीक्षक, पंजीयन,
राँची, झारखण्ड।

विषय :– ..... **महासंघ के पंजीकरण हेतु आवेदन।**

महाशय,

..... सिंचाई प्रणाली के कमांड क्षेत्र के अन्तर्गत किसान ..... महासंघ के पंजीकरण हेतु सहमत हुए हैं एवं एतदर्थ आपको वांछित प्रलेखों की दो प्रतियाँ (संलग्न) समर्पित की जा रही है।

एतद् द्वारा आप से ..... महासंघ को सोसायटीन रजिल्ट्रेशन ऐक्ट XXI(18560) के तहत पंजीकृत करने का अनुरोध किया जाता है।

आपका विश्वासी,

अनुलग्नक :

1. महासंघ के उपनियम
2. महासंघ का संकल्प
3. पंजीयन शुल्क
4. अन्य, यथा अपेक्षित

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)
नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर

अनुसूची – 3

जल उपयोगकर्त्ता महासंघ द्वारा जल की माँग हेतु आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्राधिकार,

विषय :– ..... **महासंघ को जल के आवंटन एवं विमुक्ति के लिए आवेदन**

महाशय,

..... लघु/वितरणी के कमांड क्षेत्र के किसानों ने ..... महासंघ का निर्माण किया है। सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र एवं गाँवों से संबंधित विवरण निम्न प्रकार से हैं :

गाँव/टोले का नाम	गाँव/टोले का भौगोलिक क्षेत्रफल (हे० में)	कृष्य कमांड क्षेत्रफल (हे० में)	जल उपयोगकर्त्ता संघ (?) के अध्यक्ष का नाम एवं पता
योग			

महासंघ की ओर से मैं खरीफ, रबी एवं गरमा सिंचाई के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु लघु/वितरणी से जल के आवंटन एवं विमुक्ति के निमित्त आवेदन करता हूँ। खरीफ, रबी एवं गरमा फसल में योग नियोजित कृष्य कमांड क्षेत्र क्रमश : हे० हे० एवं Ä हे० प्रतिवर्ष होगा। महासंघ एवं किसान सहभागी सिंचाई प्रबंधन नियम, झारखण्ड (2012) का पालन करेगें एवं निम्नलिखित उपबंध एवं शर्त्तों के प्रति निष्ठावान् रहेंगे :

i- महासंघ जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्णीत प्रचलित दर के अनुसार जल प्रशुल्क का संग्रहण करेगा।

ii- किसानों से संगृहीत योग जल प्रशुल्क का 30% सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्राधिकार/जल संसाधन विभाग को जमा कर दिया जायेगा एवं शेष 70% महासंघ के स्तर पर संचालन तथा सन्धारण पर व्यय के लिए रख लिया जायेगा।

iii- महासंघ प्रत्येक वर्ष जल प्रशुल्क को दो किस्तों में भुगतान करेगा (पिछले गरमा एवं खरीफ के लिए 31 मार्च तक एवं पिछले रबी के लिए 30 जून तक।

अनुलग्नक :

क. गाँव/टोलावार एवं मौसमवार कमांड क्षेत्र
ख. महासंघ के पंजीकरण की प्रति
ग. महासंघ द्वारा आवेदक के चयन से संबंधित संकल्प

मुहर के साथ हस्ताक्षर
(सचिव, जल उपयोगकर्त्ता महासंघ)

अनुसूची – 4

सहभागी सिंचाई प्रबंधंन प्राधिकार द्वारा

जल आवंटन का प्रपत्र

आदेश सं० :–.....

आवेदन सं० :–.....

जल उपयोगकर्त्ता महासंघ का नाम :–.....

महासंघ के अध्यक्ष/सचिव का नाम :–.....

पता :–..... प्रखंड :–..... जिला :–.....

योग कृष्य कमांड क्षेत्र :–..... हे० (खरीफ ..... हे० रबी में ..... हे० एवं गरमा में . ..... हे०)

लघु/वितरणी का नाम :–.....

माइनर अथवा निकास एवं बहाव का स्थान :–.....

जल प्रशुल्क (दर) :

1. खरीफ मौसम
2. रबी मौसम
3. गरमा मौसम

भुगतान की तिथि : गरमा एवं खरीफ के लिए अगली 31वीं मार्च, एवं रबी के लिए अगली 30वीं जून

यह आदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन नियम, झारखण्ड (2012) एवं बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 के तहत निर्गत किया गया है।

हस्ताक्षर

(सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्राधिकरण)

अनुसूची – 5

जल उपयोगकर्त्ता महासंघ एवं सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्राधिकार के मध्य एकरारनामा का प्रपत्र

यह समझौता, वर्ष 20 ..... के ..... महीने की ..... तिथि को सिंचाई प्रबंधन प्राधिकार ..... (जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि) एवं ..... महासंघ (किसानों के प्रतिनिधि) के मध्य सम्पन्न किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार में खरीफ, रबी एवं गरमा के मौसमों में क्रमश : .....हे०, ... हे० एवं ..... हे० में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु ..... महासंघ को ..... माइनर/वितरणी से जल आवंटित करने एवं विमुक्त करने के लिए स्वीकृति दी है। महासंघ यह जल किसानों में वितरित करेगा, किसानों से (?) जल संग्रहण करेगा, विभाग को अपेक्षित जल प्रशुल्क भुगतान करेगा एवं कमांड क्षेत्र विकास तथा अन्य कृषि विकास कार्यों समेत कमांड क्षेत्र में संचालन एवं संधारण का कार्य हाल में लेगा। यह समझौता वर्ष 20 ..... के ..... महीने की ..... तिथि से अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

किन्तु समस्त सिंचाई अवसंरचनाओं, परिवहन प्रणाली, सिंचाई के लिए अधिगृहीत सिंचाई प्रणाली, पेडों, नहर सेवा के पर्थो/मार्गोंइत्यादि का स्वामित्व सरकार के ही पास रहेगा।

उमय पक्षों ने इस पर सहमति प्रदान की है एवं इस समझौता पर अपने पूरे विवेक के साथ वर्ष ..... के महीने ..... की तिथि ..... को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर

सचिका,..... महासंघ

साक्षी :– 1. .....

2. .....

Ä

हस्ताक्षर

सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्राधिकार,

जल संसाधन विभाग

साक्षी :– 1. .....

2. .....